93

संख्या–178/XVIII(II)/2016–03(51)/2015

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 04 फरवरी जनवरी, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढवाल के जनपद देहरादून स्थित कैम्पस की 7.130 है0 भूमि में से उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के सेलाकुई डिपो हेतु कुल 3.565 है0 को सशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने हेतु शासनादेश सं0–2350/XVIII(II)/2011–03(93)/2011 दि0–16.11.2011 को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–594/12ए–56(2014–17) डी0एल0आर0सी0 दि0–10.06.2015 तथा पत्र सं0–737/12ए–56(2014–17) डी0एल0आर0सी0 दि0–28.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढवाल के देहरादून स्थित कैम्पस हेतु शासनादेश सं0–2350/XVIII(II)/2011–03(93)/11 दि0–16.11.2011 द्वारा कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क आवंटित भूमि में से ग्राम सेन्ट्रल हॉप टाउन, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून के खाता सं0–1036/6 के खसरा सं0–122मि0 रकबा 0.713 है0, 1036/7 के खसरा सं0–122मि0 रकबा 0.713 है0, 1036/8 के खसरा सं0–122मि0 रकबा 0.713 है0, 1024/1 के खसरा सं0–122मि0 रकबा 0.713 है0 तथा 989/1 के खसरा सं0–122मि0 रकबा 0.713 है0, इस प्रकार कुल 3.565 है0 भूमि को शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1 दि0–09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तथा कृषि/वन विभाग की सहमति के दृष्टिगत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की मालगुजारी के 150 गुने के बराबर धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने हेतु शासनादेश सं0–2350/XVIII(II)/2011–03(93)/2011 दि0–16.11.2011 को इस सीमा तक संशोधित पढे व समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।
4. यदि प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

.....2

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के प्रस्तर तीन में निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– 178 /XVIII(II)/2016–03(51)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कृषि/वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0, देहरादून।
5. कुल सचिव, उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढवाल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।